

## अध्याय—VI

### आईडिया सेल्युलर लिमिटेड (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलिकॉम लिमिटेड (ए बी टी एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व

#### 6.1 कंपनी का संक्षिप्त परिचय

मैर्सस आईडिया सेल्युलर लि0 (आई.सी.एल) आदित्य बिड़ला ग्रुप के अधीन एक कम्पनी थी। यह पहली निजी क्षेत्र की कम्पनियों में थी जिन्हें सेल्युलर सेवायें प्रदान करने के लिये लाइसेंस दिये गये थे।

यद्यपि यह दूरसंचार क्षेत्र की पहली कम्पनियों में थी, तथापि इसकी वृद्धि अन्य समकालिक दूरसंचार कम्पनियों के अनुरूप नहीं थी जबकि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। फिर भी, बाद में आई सी एल ने दूरसंचार मार्केट साझेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की।

#### 6.1.1 आईडिया सेल्युलर लि0 (आई सी एल) और आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि0 (ए बी टी एल) को दिये गये लाइसेंस

मैर्सस आईडिया सेल्युलर लिमिटेड, (आईसीएल) प्रारम्भ में मैर्सस बिड़ला कम्यूनिकेशन लिमिटेड के नाम से निगमित, पहली दूरसंचार कम्पनियों में से थी जिन्हें दिसम्बर 1995 में महाराष्ट्र और गुजरात एलएसए में सेल्युलर सेवायें प्रदान करने के लिये लाइसेन्स प्रदान किये गये थे। वर्ष 1996 में मैर्सस ए टी एण्ड टी कारपोरेशन से संयुक्त भागेदारी के पश्चात मैर्सस बिड़ला कम्यूनिकेशन ने अपना नाम मैर्सस बिड़ला ए टी एण्ड टी कम्यूनिकेशन लि. में बदल लिया। वर्ष 2000 और 2001 के दौरान मैर्सस टाटा सेल्युलर लि. और मैर्सस आर पी जी सेल्यूलर का अधिग्रहण करके कंपनी ने क्रमशः आन्ध्र-प्रदेश और मध्य प्रदेश के लाइसेन्स भी प्राप्त कर लिये और कंपनी ने अपना नाम बदलकर बिड़ला टाटा ए टी एण्ड टी (बी ए टी ए टी ए) रखा और 2001 में दिल्ली एलएसए का लाइसेन्स भी प्राप्त किया। वर्ष 2002 में कंपनी ने फिर अपना नाम बदलकर आईडिया सेल्यूलर लि. रखा और ब्रान्ड "आईडिया" की शुरुआत की। मैर्सस एस्कोटेल कम्यूनिकेशन लि. का अधिग्रहण करने पर कंपनी ने छः और एलएसए<sup>1</sup> के लाइसेन्स प्राप्त कर लिये। वर्ष 2006 में, आई सी एल ने मुम्बई एलएसए का लाइसेन्स प्राप्त किया और बिहार का लाइसेन्स इसकी एक प्रवर्तक कम्पनी, आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लि. (ए बी टी एल) ने प्राप्त किया जो कि वर्ष 2007 में आई सी एल की शत प्रतिशत सहयोगी कंपनी बन गई। वर्ष 2008 में आई सी एल ने 7 और एलएसए<sup>2</sup> का लाइसेन्स प्राप्त किया। वर्ष 2009-10 में ए बी टी एल ने अपना बिहार का यू एस लाइसेंस आर सी एल में हस्तांतरित किया। अब, स्पाईस कम्यूनिकेशन लि. के विलय के पश्चात 01 मार्च 2010 से आई सी एल के पास पंजाब और कर्नाटक के भी लाइसेन्स हैं।

आईडिया सेल्यूलर लि. के पास नैशनल लॉग डिस्टेंस (एन एल डी) सेवाओं के दो और इंटरनैशनल लॉग डिस्टेंस (आइ एल डी) सेवाओं का एक लाइसेन्स है। आई सी एल द्वारा पहला एन एल डी लाइसेन्स 2006 में प्राप्त किया गया और दूसरा एन एल डी और आई एल डी लाइसेंस मैर्सस स्पाईस कम्यूनिकेशन के अधिग्रहण के माध्यम से प्राप्त किया गया जिसने उपरोक्त लाइसेन्स 2007 में लिये थे। मैर्सस आई सी

1 (तमिलनाडु, ओडिसा, कोलकाता, पूर्वात्तर, जम्मू कश्मीर, असाम, और पश्चिम बंगाल)

2 (तमिलनाडु, ओडिसा, कोलकाता, पूर्वात्तर, जम्मू कश्मीर, असाम और पश्चिम बंगाल)

एल वर्ष 2008 में संरचना प्रदाता-संवर्ग-I (आई पी-I) के रूप में और वर्ष 2010 में इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) के रूप में पंजीकृत हुई।

### 6.1.2 आई सी एल/ए बी टी एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

आई सी एल एक जी एस एम प्रचालक है। 31 मार्च 2010 तक आई सी एल को एल एस ए क्षेत्रों के अनुसार जी एस एम स्पेक्ट्रम आबंटन का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 6.1

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2 x 9.8 मेगाहर्टज	महाराष्ट्र
2	2 x 8.0 मेगाहर्टज	आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश और यू पी (पश्चिम)
3	2 x 7.8 मेगाहर्टज	पंजाब
4	2 x 6.2 मेगाहर्टज	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान और यू पी (पूर्व)
5	2 x 4.4 मेगाहर्टज	आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मुम्बई, उत्तर पूर्व, ओडिसा, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल

### 6.1.3 आई सी एल/ए बी टी एल का उपभोक्ता आधार

लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान, 31 मार्च 2007 से 31 मार्च 2010 तक आई सी एल के उपभोक्ता आधार में 450 प्रतिशत की दर से 1.40 करोड़ से 6.38 करोड़ की वृद्धि हुई। आई सी एल की 2006-07 में बाजार हिस्सेदारी सात प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत तक बढ़ गई।

### 6.1.4 आई सी एल/ए बी टी एल के द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल राजस्व, कटौती और समायोजित सकल राजस्व तथा भुगतान की गयी राजस्व हिस्सेदारी

जैसा कि पैरा 1.5 में बताया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाता को प्रत्येक तिमाही आधार पर के प्रतिशत के रूप में स्वयं आकलन के आधार पर ला.फी और एस यू सी प्रभार का भुगतान करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल की अभिलेखित सकल राजस्व, कटौतियाँ, और समायोजित सकल राजस्व और भुगतान किये गई लाइसेन्स फीस/स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीआर	कटौती	एजीआर	जीआर के लिए एजीआर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी
					(एलएफ+एसयूसी)
2006-07	4518	851	3667	81.16	446
2007-08	7150	1558	5592	78.21	681
2008-09	10728	2677	8051	75.05	1107
2009-10	13323	2723	10600	79.56	1319
<b>कुल</b>	<b>35719</b>	<b>7809</b>	<b>27910</b>	<b>78.14</b>	<b>3553</b>

## 6.2 आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व को कम अभिलेखित किया जाना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व बिना किसी सम्बद्ध व्यय मद इत्यादि को अलग किये सभी प्रकार के राजस्व को सम्मिलित करेगा और जैसा कि पैरा 1.5 में वर्णित किया गया है, सेवा राजस्व (बिल बनाने योग्य राशि) को सकल रूप से दर्शाया जायेगा और छूटों/रियायतों का विवरण अलग से दर्शाया जायेगा।

आई सी एल/ए बी टी एल के लेखों और रिकार्ड की लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि निम्नलिखित मुद्दों पर इन कंपनियों ने लाइसेन्स समझौते के प्रावधानों का पालन नहीं किया :

### 6.2.1 प्री पेड भुगतान सेवाओं के डीलरों/अभिदाताओं के लिए कमीशन/पेशकश/छूट को अलग किए जाने के कारण राजस्व का कम अभिलेखित करना

वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा दी गई प्री-पेड सेवाओं सम्बन्धित डाटा/रिकॉर्ड की जांच ने दर्शाया कि

- प्री-पेड सेवाओं से सम्बंधित राजस्व से वितरकों/एजेन्टो को दिया गया कमीशन राजस्व से घटाया गया।
- उपभोक्ताओं को दी गई विभिन्न पेशकश जैसे कि "मुफ्त एयर टाईम (फ़ैट), मुफ्त सिम/टाक टाईम/एस एम एस सुविधा उपभोक्ताओं को मुफ्त टॉक टाईम, उपभोक्ताओं को पेश किये गये समायोजन/ पी सी ओ प्रोत्साहन को प्री-पेड सेवाओं से संबन्धित राजस्व से घटाया गया।

मद-अनुसार ब्यौरा निम्नानुसार है।

#### (ए) मार्जिन/कमीशन

लाइसेन्स कम्पनी दूरसंचार सेवाओं की बिक्री हेतु कमीशन के आधार पर वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/डीलरों को नियुक्त करती है। लाइसेन्स कम्पनी दूरसंचार सेवाओं के उत्पाद की बिक्री के लिये वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/एजेन्टों को प्री-पेड रिचार्ज कूपन/ई-टॉप-अप की आपूर्ति करती है और उन्हें कमीशन/मार्जिन का भुगतान करती है। वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत रिकॉर्ड/डाटा की संवीक्षा ने दर्शाया कि प्री-पेड रिचार्ज कूपन/ई-टॉप-अप की बिक्री के समय वितरकों/फ्रैन्चाइजी/डीलरों को दिया गया प्राथमिक कमीशन/मार्जिन को राजस्व से घटा दिया गया। इसके परिणामरूप लेखाओं और सकल राजस्व से कमीशन/मार्जिन घटा दिया गया, और फलरूप दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत ए.जी.आर विवरणी में केवल शुद्ध राजस्व दर्शाया गया।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान राजस्व में से वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/एजेन्टों/डीलरों को कमीशन/मार्जिन के रूप में दी गई राशि के घटाने के कारण राशि 698.70 करोड़ थी **(अनुलग्नक 6.01 में वर्णित)**

क्योंकि, वितरकों/फ्रैन्चाइजीयों/डीलरों को अदा किया गया कमीशन/मार्जिन व्यापार व्यय (मार्केटिंग व्यय) है, इसलिये, इस प्रकार के व्यय को राजस्व से घटाया जाना लाइसेन्स शर्तों के विरुद्ध है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि :

- आई सी एल द्वारा प्राप्त किये गये विधिक परामर्श के अनुसार कंपनी और वितरकों के सम्बन्ध सैद्धान्तिक आधार पर है और इस प्रकार वितरक से वसूली गई राशि के लेन-देन को हो लिखित करने की आवश्यकता होती है।
- एएस-9 के अनुरूप, कंपनी ने जिस मूल्य पर वितरकों को उत्पाद बेचे, केवल उसी मूल्य का महत्व है और उसी मूल्य को राजस्व के रूप में पहचाना जाना चाहिये। अन्य किसी रोकड़, प्राप्ति योग्य और अन्य का अंतः प्रवाह नहीं हुआ।
- टी डी सैट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा एलएफ का भुगतान वास्तव में प्राप्त हुए राजस्व पर देना था।

प्रबन्धन के प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को पैरा 3.2.1 (ए) में स्पष्ट किया गया है।

- आगे ए.एस-9 में राजस्व पहचान के अनुसार, जैसा कि प्रबन्धन ने बताया, लेखापरीक्षा, कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा प्रक्रियाओं/तरीके पर आपत्ति नहीं कर रही है, परन्तु लाइसेन्स समझौता के अर्न्तगत आदेशित लाइसेंस फीस के उद्देश्य हेतु, सम्बन्धित व्ययों को सकल राजस्व से अलग किये बिना राजस्व की सकल गणना की जानी है।
- टी डी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को मानीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा वितरकों/फ्रैन्चाईजीयों/एजेन्टों/डीलरों को दिये गये ₹ 698.70 करोड़ के कमीशन/मार्जिन को राजस्व से घटाने पर एलएफ और एस यू सी का क्रमश ₹ 59.93 करोड़ और ₹ 29.74 करोड़ कम भुगतान हुआ।

### **(बी) उपभोक्ताओं को दिया गया मुफ्त एयर टाइम/उपयोग न किया गया एअर टाइम, प्रमोशनल पेशकश/पी सी ओ प्रोत्साहन**

मैर्सस आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2006-07 से 2009-10 के रिकार्ड/डाटा की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश जैसे कि मुफ्त एअरटाइम (एफ ए टी)/उपभोक्ताओं को प्रयोग नहीं हुए एअरटाइम को देना (यू ए टी)/मुफ्त सिम/एस एम एस/मुफ्त टाक टाइम/बोनस टाक टाइम/उपभोक्ताओं को समायोजन को समाहित करने के लिये, इन सबके मूल्य को प्री-पेड सेवाओं से पहले ही राजस्व से कटौती कर दी गई और जब इन सब का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किया गया, उतनी राशि राजस्व में जोड़ दी गई। परिणामस्वरूप इन पेशकशों से प्राप्त राजस्व की जीआर/एजीआर के रूप में पहचान नहीं की गई।

क्योंकि उपभोक्ताओं को दी गई पेशकश (एफ ए टी/यू ए टी/एफ टी टी/एफ ओ सी इत्यादि) व्यापार वृद्धि के उद्देश्य से अपनायी गई रणनीति का हिस्सा थी, इसलिये इस प्रकार की पेशकश/रियायत/छूट व्यय के अर्न्तगत आती है। आगे लाइसेंस समझौते के अनुसार सेवा राजस्व को सकल रूप में बिना घटाये दिखाना चाहिये। फिर भी, प्रबन्धन का राजस्व में से इन पेशकश/रियायत/छूट को घटाना लाइसेंस समझौते के विरुद्ध था जिसके परिणामस्वरूप एलएफ और एसयूसी की हुई कम वसूली का विवरण निम्नानुसार है।

## तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

मुफ्त एअर टाईम/उपयोग न किया गया एअर टाईम/प्रोमाशनल पेशकश/उपभोक्ता को पी.सीओ प्रोत्साहन	जीआर की कम रिपोर्टिंग	एलएफ पर प्रभाव	एसयूसी पर प्रभाव	टिप्पणी
मुफ्त एअर टाईम (एफएटी)/उपयोग न किया गया एअर टाईम (यू ए टी)	202.36	15.91	8.00	अनुलग्नक – 6.02
उपभोक्ताओं को मुफ्त सिंग/एस एम एस	4.62	0.42	0.20	अनुलग्नक - 6.03
उपभोक्ताओं के मुफ्त टाक टाईम (एफटीटी)	344.13	30.74	13.45	अनुलग्नक – 6.04
प्रशा. फीस इत्यादि की प्रतिपूर्ति को घटाया जाना	7.09	0.47	0.31	अनुलग्नक – 6.05
पब्लिक काल आफिस प्रोत्साहन	107.93	10.08	3.86	अनुलग्नक – 6.06
<b>कुल योग</b>	<b>666.13</b>	<b>57.62</b>	<b>25.82</b>	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि:

- चुनिंदा प्री.पेड टैरीफ सारणी में, विशिष्ट मूल्य के रीचार्ज वाऊचरों के माध्यम से रिचार्ज करने पर अगर उपभोक्ता को मुफ्त एअर टाईम प्रदान किया जाता है, तब उपभोक्ता द्वारा वास्तव में भुगतान किये गये मूल्य को अन्तिम रूप से राजस्व में बुक किया जाता है। ऐसी टैरीफ योजनाए ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।
- प्रोत्साहन पेशकश को व्यय के रूप में लेना सम्भव नहीं है क्योंकि यह व्यय कंपनी द्वारा वहन नहीं किया जाता।
- टी. डी सैट अपने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया है कि सकल राजस्व के रूप गणना के लिये, अंतप्रवाह मद सैद्धान्तिक नहीं बल्कि वास्तविक होना चाहिये।
- कम्पनी पी.सी.ओ प्रचालकों को मुफ्त एअर टाईम/प्रोत्साहन पेशकश के साथ रिचार्ज कूपन दे रही है जो उच्च मूल्य के सामान्य वाऊचर है और उनका टैरिफ स्कीम ट्राई द्वारा पहले से ही सस्वीकृत है।

लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.1 (बी) में वर्णित है। आगे प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि

- लेखापरीक्षा जाँच में सम्मिलित मुफ्त एअर टाईम में उन टारिफ योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है जो विशिष्ट रिचार्ज मूल्य के वाऊचर के माध्यम से उपभोक्ताओं को रिचार्ज करने हेतु दिये गये हैं।
- लाइसेंस समझौते के अनुलग्नक-III के अनुसार 'सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल रूप में और रियायत/छुट का ब्यौरा अलग से दर्शाया जायेगा। इसका अर्थ है कि राजस्व सकल रूप में दर्शाना चाहिये परन्तु प्रबन्धन ने एजीआर विवरणी बनाते समय प्रोत्साहन पेशकशों को राजस्व से अलग किया, जो कि लाइसेंस समझौते का उल्लंघन है।
- यह जानते हुए कि टी डी सैट के दिनांक अप्रैल 2015 के निर्णय के विरुद्ध दूरसंचार विभाग द्वारा

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दर्ज की गई है, लेखापरीक्षा का मत है कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली पेशकश (एफएटी) व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारिक रणनीति का भाग है और व्यय है।

- सामान्य कनेक्शन/पी.सी.ओ प्रचालकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पेशकश सामान्यतः नये रेट प्लानों को लोकप्रिय बनाने और नये उपभोक्ताओं इत्यादि को आकर्षित करने के लिये दी जाती है इसलिये यह व्यापार वृद्धि हेतु व्यापारिक रणनीति का भाग है और व्यय है।

इस प्रकार प्री-प्रेड उपभोक्ताओं को पेशकश इत्यादि में दी गई ₹ 666.13 करोड़ जीआर/एजीआर में कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एलएफ और से एसयूसी की क्रमश ₹ 57.62 करोड़ और ₹ 25.82 करोड़ की कम वसुली हुई।

## 6.2.2 पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों को घटाने से राजस्व कम दिखाया जाना

आई सी एल द्वारा पोस्ट पेड सेवाओं से सम्बन्धित 2006-07 से 2009-10 तक दिये गये डाटा/रिकार्ड की जाँच ने दर्शाया कि एक एल एस ए (यू पी पश्चिम) ने पोस्ट पेड राजस्व जी एल कोड के अर्न्तगत प्रोत्साहन रियायतों की राशि को अलग से डेबिट में दिखाया और उस राशि को व्यय में दर्शाने की बजाय एजीआर से घटा दिया। क्योंकि किसी अन्य एल एस ए ने राजस्व शीर्ष से प्रोत्साहन रियायत को अलग करके नहीं बुक किया था, लेखापरीक्षा यू पी (पश्चिम) के संदर्भ में पोस्ट पेड सकल राजस्व से प्रोत्साहन रियायतों का प्रतिशत निकाल कर नतीजे पर पहुँची कि अन्य 21 एलएसए क्षेत्र के प्रकरण में ₹ 202.79 करोड़ की प्रोत्साहन रियायत में दी गई राशि सकल राजस्व से आरम्भ में ही घटा दी गई प्रोत्साहन रियायत व्यापार वृद्धि हेतु व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है, इसलिये इस प्रकार की छुट/रियायत एक व्यय है इसलिये लाईसेन्स समझौते के अनुसार इस राशि को जीआर से नहीं घटाना चाहिये।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर प्रबन्धन ने बताया कि:

- ए.एस-9 के अनुसार, राजस्व की व्याख्या उत्पाद की विक्री या दी गई सेवाओं पर रोकड़ के रूप में प्राप्त होने पर होती है। कम्पनी को ऐसी छुट इत्यादि पर कोई रोकड़ प्राप्त नहीं हुआ इसलिये इसे राजस्व नहीं माना जा सकता।
- टी.डी सेट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय अनुसार, छुट/रियायतों की राशि को जीआर का भाग नहीं माना जा सकता है और लाईसेन्स धारकों को इस पर लाईसेन्स फीस देने के लिये नहीं कहा जा सकता।
- बिल योग राशि एजीआर का भाग है और उस पर एलएफ/एसयूसी की गणना पहले गलत या अधिक बिल कि राशि के प्रभाव को निकाल कर की जाती है।
- उपभोक्ताओं को कुछ रियायतें/छुट देना एक सामान्य व्यापारिक आवश्यकता है, इस प्रकार की रियायतों/छुटों की राशि लेखों में क्रेडिट की जाती है और यह कम्पनी को हानि है इसलिये इनको राजस्व नहीं माना जा सकता।
- बिलिंग प्लान आधारित रियायतें, उपभोक्ताओं को प्राप्ति के समय सहमत शर्तों पर पेश की जाती है। प्रणाली की सीमा के कारण बिलिंग पैट्रन बदला नहीं जा सकता और इसलिये आगामी महीनों में किराये में शून्य की वसूली नहीं की जा सकती। ये रियायतें केवल प्रणाली की सीमा के कारण

अधिक वसुली राशि का समायोजन है।

- उपभोक्ता को प्रत्येक पोस्ट-पेड प्लान में कुछ मिनट्स/उपभोग की पेशकश की जाती है जिसे उपयोग रियायती पैकेज (यू.डी.पी) कहा जाता है और ट्राई को प्रस्तुत बिलिंग प्लान का भाग है। ऐसी युं.डी.पी में बिल बनाते समय प्रणाली की सीमा के कारण इस प्रकार की पेशकश को वास्तविक नहीं माना जा सकता।
- यूपी (पश्चिम) एलएसए के जी.एल में उपलब्ध आकड़ों का अन्य एल एस ए से समायोजन आंकड़े गलत है जिन्हें लेखापरीक्षा का आधार माना गया, यद्यपि, अन्तरिम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, उ.प्र. (पश्चिम) एल एस ए ने पोस्टपेड प्रमोशनल एअरटाईम से सम्बन्धित जी एल कोड को डेबिट करके और पोस्ट पेड एअरटाईम राजस्व से सम्बन्धित जी एल कोड का क्रेडिट करके उपभोक्ताओं को पेश किये गये मिनटों की अवधि हेतु अतिरिक्त एन्ट्री पास की। दोनों जी एल कोड राजस्व का भाग है।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण निम्नानुसार है,

- जैसा कि प्रबन्धन ने प्रत्युत्तर में बताया गया, दोनों जी एल कोड राजस्व के अर्न्तगत है, और यह अन्तरिम प्रबन्धन रिपोर्ट हेतु पास की गई एक अतिरिक्त प्रविष्टि है और इसलिये पहले गणना की गई राशि ₹ 479.52 करोड़ में राजस्व शीर्ष में केवल उन्ही डेबिट आकड़ों के साथ, जिनकी सम्बन्धित डेबटर जी एल कोड में क्रेडिट प्रविष्टि है, संशोधित करके ₹ 202.79 करोड़ की राशि की गणना की गई (अनुलग्नक 6.7 में वर्णित)
- ए.एस.-9 में राजस्व पहचान के अनुसार, जैसा कि प्रबन्धन द्वारा बताया गया, यह सूचित किया जाता है कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनायी गई लेखा तरीके को चुनौती न देते हुए लाईसेन्स फीस के उद्देश्य हेतु, लाईसेन्स समझौते के अर्न्तगत सम्बन्धित व्यय को घटाये बिना राजस्व की पहचान सकल रूप से करना है।
- उत्तर में बताये गये टी.डी सेट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से खारिज कर दिया है।
- बिलिंग प्लान आधारित रियायतों के प्रकरण में, राजस्व जी.एल कोड में ऐसी सभी डेबिट्स के साथ विभिन्न डेबटर जी.एल. कोड में सम्बन्धित क्रेडिट प्रविष्टि हैं और इस प्रकार राजस्व को उसी सीमा तक घटाया गया। अग्रिम किराये को दायित्व जी एल कोड के माध्यम से लेखित किया गया और प्रबन्धन का यह तर्क कि सिस्टम की सीमा के कारण उपभोक्ता से किराया बसुल कर उसको प्रोमो पैक में समायोजित किया गया, स्वीकार योग्य नहीं है और न ही मौजूदा नियमों के अनुरूप है।
- निकाले गये प्रोत्साहन रियायतों की राशि को जनरल वाऊचरों से लिया गया है जिसमें राजस्व जी. एल. कोड को देनदारों के सम्बन्धित क्रेडिट से डेबिट किया गया है और इस प्रकार राजस्व पर प्रभाव डाला गया है।

लाईसेन्स करार की शर्तों के विरुद्ध पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को दिये गये प्रोत्साहन रियायतों, छूट को जीआर/एजीआर में न लेने के परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा एलएफ/एसयूसी का क्रमश ₹ 17.80 करोड़ और ₹ 8.37 करोड़ का कम भुगतान हुआ।



### 6.2.3 अन्य प्रचालकों को अन्तर प्रचालक ट्रैफिक के भुगतान पर दी गई रियायत/ क्रेडिट से घटाये जाने के कारण रोमिंग राजस्व की कम रिपोर्टिंग

आई सी एल ने अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों के साथ रोमिंग व्यवस्था की है। यह संज्ञान में आया कि इन प्रचालकों के लेखों से उनको दी गई अन्तर प्रचालक ट्रैफिक, आई ओ टी रियायतें/क्रेडिट राजस्व शीर्षों से घटा दी गई थी/ डेबिट कर दी गई थी।

अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालकों के साथ की गई रोमिंग व्यवस्था, प्रचालकों के बीच आपसी सहमति के आधार का विषय था और रोमिंग पर सहमत प्रभागों से अधिक रियायत देना प्रचालकों के बीच व्यापार वृद्धि की व्यापारिक रणनीति का भाग था। इसलिये लाईसेन्स समझौतों की शर्तों के अनुसार, ऐसी रियायते व्यय है और इन्हे राजस्व से नहीं घटाना चाहिये।

यह देखा गया कि वि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान ₹ 28.74 करोड़ की राशि को आई ओ.टी रियायतों को रोमिंग राजस्व से डेबिट कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- आईओटी रियायत बहुत अधिक है और इसका सम्बन्ध कम्पनी के नेटवर्क पर उनके उपभोक्ताओं की रोमिंग अवधि के परिमाण के साथ है। ऐसी रोमिंग रियायत व्यापारिक रियायत है और कम्पनी द्वारा रोमिंग राजस्व को व्यापारिक रियायत मानना निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप है। इस प्रकार प्रचालकों को रोमिंग पर दिये गये ऐसी व्यापारिक रियायतों को एजीआर की गणना के लिये पुनः नहीं जोड़ा जा सकता।
- रियायत देने पर रोमिंग राजस्व की मात्रा घट जाती है। इसी प्रकार रियायत लेने पर, आऊट रोमिंग के लिये भुगतान योग्य पास थ्रू को घटा देता है जिससे एजीआर बढ़ जाता है। इस प्रकार यदि लेने वाले प्रचालक को सकल रोमिंग प्रभाग को राजस्व में लेने और देने वाले प्रचालक को केवल रोमिंग प्रभाग घटाने की अनुमति हो, तो इससे रोमिंग प्रभागों पर रियायतों की सीमा तक दोहरा टैक्स लगेगा।
- एएस 9 के अनुसार राजस्व गणना के लिये व्यापारिक छूट और दिये गये छूटों की मात्रा को घटाना चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.3 में स्पष्ट किया गया। प्रबन्धन के उत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण निम्नानुसार है,

- दोहरे टैक्सीकरण का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि भुगतान की गई लाईसेन्स फीस राजस्व हिस्सेदारी है, टैक्स नहीं।
- प्रबन्धन द्वारा बताये गये एएस-9 में राजस्व पहचान के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि लेखापरीक्षा कम्पनी द्वारा अपनाये गये लेखा तरीकों पर चुनौती न देते हुए लाईसेन्स समझौते में आदेशित, लाईसेन्स फीस की गणना के उद्देश्य से सम्बन्धित व्यय को घटाये बिना राजस्व की सकल पहचान करने की चुनौती देता है।

अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग प्रचालकों को दिये गये ₹ 28.74 करोड़ की आई.ओ.टी रियायत को घटाये जाने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर घटने के कारण दू.वि को एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 2.72 करोड़ और ₹ 1.21 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.08)



## 6.2.4 आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा जीआर/एजीआर हेतु अन्य दूरसंचार प्रचालकों से प्राप्त सरंचना हिस्सेदारी राजस्व की कम रिपोर्टिंग।

आईसीएल/एबीटीएल के स्वामित्व वाले आधारभूत सरंचना (टावर, नेटवर्क/उपकरण इत्यादि) को अन्य दूरसंचार परिचालकों से सरंचना भागेदारी की जाती है। सरंचना हिस्सेदारी हेतु कम्पनी ने अन्य परिचालकों के साथ समझौता किया है।

आईसीएल/एबीटीएल द्वारा प्रस्तुत किये गए वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान सरंचना प्रभार से सम्बन्धित रिकार्ड/डाटा की जाँच ने दर्शाया कि किराया, ईंधन, डीजल, बिजली, परिचालन, रखरखाव, बीमा, सुरक्षा इत्यादि में वसुलने योग्य/वसूले गये सरंचना प्रभारों को व्यय शीर्ष से घटा दिया गया और इस प्रकार इसे राजस्व में शामिल नहीं किया गया।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान व्यय से अलग किये गये साईट शेयरिंग राजस्व (किराया, ईंधन, डीजल, बिजली, परिचालन और रखरखाव, बीमा सुरक्षा इत्यादि), की राशि ₹ 344.72 करोड़ था। इस राशि को जीआर/एजीआर में शामिल किया जाना चाहिये था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- सरंचना साझेदारी प्रभारों में परिचालन व्यय (ओपेक्स) का कुछ हिस्सा जो कि किराया, ईंधन, सुरक्षा, ए.सम.सी लागत और मरम्मत रखरखाव के रूप में है, जिसको अन्य परिचालकों से साझा किया गया, से वास्तविक लागत को समानुपात में वसुला गया था। एएस-29 के पैरा 46 और 47 के अनुसार ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व नहीं है और इन्हे राजस्व में नहीं दर्शाया जा सकता। इस प्रकार यह एजीआर का भाग नहीं है।

जब कि पूँजी व्यय (केपेक्स) लागत पर लगने वाला प्रभार किराये के रूप में है और इसलिये इसे राजस्व माना गया है और लेखाओं में राजस्व के अर्न्तगत दर्शा कर सम्बन्धित आय/राजस्व शीर्ष में क्रेडिट किया जाता है, मेजबान परिचालक द्वारा इस सरंचना को चलाने और रखरखाव पर प्रतिदिन किये गये सयुंक्त परिचालन व्यय की वसूली को एजीआर के उद्देश्य के लिये राजस्व में शामिल नहीं किया जा सकता।

मुख्य प्रचालक द्वारा विशेष व्यय शीर्षों में किया गया व्यय लाभन्वित प्रचालकों द्वारा की गई प्रतिपूर्ति से अधिक होता है। इसलिये परिचालन व्यय की प्रतिपूर्ति की एजीआर में गणना नहीं की जा सकती। यह प्रकरण किसी राजस्व अथवा लागत मद को घटाने अथवा राजस्व को न पहचानने अथवा कम पहचानने का नहीं है। इस प्रकरण में एक परिचालक द्वारा परिचालन लागत के रूप में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति है जिसे अन्य परिचालकों के साथ साझा किया गया। इस प्रकार दूसरे परिचालक द्वारा साझा लागत पर किये गये भुगतान को पहले परिचालक का राजस्व नहीं माना जा सकता है।

- महाराष्ट्र एलएसए में ₹ 17.79 करोड़ की संशोधन प्रविष्टियाँ व्यय की रिवर्सल और जारी क्रेडिट नोटों की त्रुटिपूर्ण सरंचना साझेदारी की वसुली मान लिया गया। हरियाणा एलएसए में, ₹ 1.57 करोड़ की संशोधन प्रविष्टियाँ, व्यय की रिवर्सल को त्रुटिपूर्ण सरंचना साझेदारी को वसूली माना गया। मुम्बई एलएसए में सुरक्षा सेवा प्रभार की ₹ 1.01 करोड़ की वसुली मुम्बई परिमण्डल से सम्बन्धित नहीं है।

प्रबन्धन प्रत्युत्तर पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.4 में स्पष्ट किया गया है यद्यपि ₹ 20.37 करोड़ की संशोधन/रिवर्सल/क्रेडिट नोट प्रविष्टियों पर आरम्भ में लेखापरीक्षा ने विचार नहीं किया था परन्तु प्रबन्धन के उत्तर के पश्चात लेखापरीक्षा ने इस पर विचार करके आरम्भ में निकाली गई ₹ 344.72 करोड़ की राशि में संशोधन करके ₹ 324.35 करोड़ कर दिया।

इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 के दौरान अन्य दूरसंचार परिचालकों से साईट साझेदारी राजस्व के वसुलने योग्य/वसुली गयी राशि को राजस्व से घटाने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर को ₹ 324.35 करोड़ कम दिखाया गया जिसके कारण मै. आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 27.69 करोड़ और ₹ 13.35 करोड़ का कम भुगतान किया गया (अनुलग्नक 6.9 में वर्णित)

### 6.2.5 जीआर/एजीआर हेतु आईडिया (एन एल डी) और आईडिया (एलएसए) के मध्य स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व को नहीं शामिल करना।

जैसा कि उपरोक्त पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, जीआर में सभी प्रकार के उल्लेखित सभी राजस्व बिना किसी व्यय मद को घटाये शामिल होंगे और एजीआर की गणना जीआर से अनुमत कटौतियों को घटा कर की जायेगी।

आई सी एल ने दिसम्बर 2006 में लागू डिस्टैंस सेवाएँ प्रदान करने हेतु लाईसेन्स लिया। इस सेवा में कॉल को एक लाइसेंस क्षेत्र/परिमण्डल से अन्य ला. परिमण्डल में स्विच के माध्यम से भेजा जाता है।

वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आई सी एल आईडिया सेल्युलर लि. के दस्तावेज/डाटा ने दर्शाया कि आईडिया एन एल डी डिवीजन के पास अपने स्विच नहीं थे और इसलिये उसने सभी सेवा क्षेत्रों में स्विचों का प्रयोग किया और इसके लिये एन एल.डी डिवीजन ने ₹ 0.07/0.10 प्रति मिनट भेजी गई काल की सहमत दर से भुगतान किया। यद्यपि इसका भुगतान आईडिया एन एल डी ने सम्बन्धित एलएसए को किया, फिर भी इस राजस्व को सम्बन्धित एलएसए ने जीआर/एजीआर की गणना हेतु राजस्व नहीं माना और इस राजस्व को एन एल डी स्विच और अन्य व्यय मद के लेखा शीर्ष के अर्न्तगत क्रेडिट किया गया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अधीन अवधि के दौरान ₹ 252.47 करोड़ राशि को कम दर्शाया गया लेखापरीक्षा प्रश्न पर, प्रबन्धन ने बताया कि :

- एन एल डी सेवाओं का उपयोग कॉल को एक सेवा क्षेत्र से अन्य सेवा क्षेत्रों में भेजने हेतु किया जाता है। त्वरित सेवा के लिये और केपेक्स में बचत के लिये, कम्पनी ने एन एल डी स्विचों को सी एम टी एस/ यु ए एस एल स्विचों के साथ शामिल कर लिया जिसकी एनएलडी लाईसेंस समझौते में अनुमति है।
- एन एल डी सेवाएँ अन्य एलएसए के स्विचों का उपयोग लागू डिस्टैंस ट्रैफिक के मार्गीकरण हेतु कर रही हैं। क्योंकि इन स्विचों का पूँजीकरण सम्बन्धित एलएसए के लेखों में किया जाता है, इसलिये सभी रख-रखाव, मरम्मत, अवमूल्यन के व्यय सम्बद्ध एलएसए द्वारा वहन किये जाते हैं और उनके लेखों में डाले जाते हैं। इसलिये प्रत्येक खण्ड में सही लाभांश को दर्शाने हेतु एन एल डी डिवीजन द्वारा इन स्विचों के उपयोग की प्रतिपूर्ति की जाती है।
- एलएसए और एन.एल.डी. के बीच इस प्रकार के साझेदारी व्यय को एलएसए का राजस्व मानने का तर्क निर्धारित लेखा मानकों के विरुद्ध है और ऐसी सैद्धान्तिक लेन-देन को एजीआर की गणना हेतु राजस्व नहीं माना जाना चाहिये।

प्रबन्धन के उत्तर से यह तथ्य स्पष्ट है कि एन एल डी द्वारा इन स्विचों के उपयोग पर एलएसए को प्रतिपूर्ति की जा रही है और इसलिये यह एक प्रकार की सरंचना साझेदारी है। लाईसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार, जीआर में अनुमत सरंचना साझेदारी से प्राप्त राजस्व सम्बन्ध व्यय पद को घटाये बिना शामिल किया जायेगा। इस प्रकार एन एल डी डिवीजन से एलएसए द्वारा प्राप्त राशि उनके लेखों में राजस्व के रूप में दर्शानी चाहिये और जीआर/एजीआर की गणना हेतु शामिल किया जाना चाहिये। एलएसए द्वारा एन एल डी डिवीजन से स्विच साझेदारी से प्राप्त राजस्व को व्यय लेखा शीर्ष के अर्न्तगत क्रेडिट के रूप में बुकिंग की अनुमति यु ए एस एल करार में नहीं है।

इस प्रकार वि. वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान आईडिया एन एल डी से स्विच साझेदारी राजस्व से प्राप्त ₹ 252.47 करोड़ का एलएसए द्वारा न मानने के कारण जीआर/एजीआर को कम दर्शाया गया और परिणामस्वरूप आई सी एल द्वारा एलएफ और एसयूसी का क्रमश ₹ 22.63 करोड़ और ₹ 9.78 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.10)

### 6.2.6 आई सी एल द्वारा अपरिहार्य अधिकार उपयोग (आई आर यू) पर दिये गये संसाधनों से प्राप्त राजस्व को जीआर/एजीआर हेतु न शामिल किया जाना।

यु.ए.एस एल समझौता के खण्ड 19.1 और एन एल डी लाईसेंस समझौते के अनुसार, क्रमशः अनुमत सरंचना साझेदारी और सरंचना को लीज पर देने से प्राप्त राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर का भाग माना जायेगा।

2009-10 में आई सी एल की पैसिव सरंचना डिवीजन के लिये अलग से रखे गये नमूना लेखा के अर्न्तगत ₹ 1.13 करोड़ की राशि को राजस्व के रूप में लेखित किया गया और इसको आई सी एल के लाभ हानि लेखा में सेवा राजस्व के रूप में रिपोर्ट करके शामिल किया गया।

वर्ष 2009-10 के दौरान आई सी एल द्वारा प्रस्तुत सरंचना साझेदारी राजस्व से सम्बन्धित दस्तावेजों/ डाटा की जाँच ने दर्शाया कि यह टाटा टेलीसर्विस लि. (टी टी एस एल) को अपरिहार्य उपयोग अधिकार (आर यू आर ) पर यू पी (पश्चिम), मध्य प्रदेश, बिहार, ए पी और गुजरात सेवा क्षेत्रों के दिये गये संसाधन ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) से जमा किया गया राजस्व है। फिर भी वर्ष 2009-10 के लिए इस राजस्व को राजस्व साझेदारी (एलएफ और एसयूसी) की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा टिपणी पर आई सी एल प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि कम्पनी के पास दू. वि द्वारा जारी सरंचना प्रदाता संवर्ग-I पंजीकरण है और इस पंजीकरण के अर्न्तगत सेवायें प्रदान करने पर राजस्व पर लाईसेन्स फीस भुगतान लागू नहीं होता।

2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाया राजस्व आई सी एल की पैसिव सरंचना डिवीजन से सम्बन्ध है, और इस राजस्व को अपरिहार्य उपयोग अधिकार (आई आर यू) के अर्न्तगत टाटा टेलीसर्विस लि0 को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ एफ सी) की बिक्री से लेखित किया गया है। इस राजस्व को आई सी.एल के लाभ-हानि लेखा बनाते समय सेवा राजस्व के रूप में दर्शाया गया है लेकिन क्योंकि इस राजस्व पर लाईसेन्स फीस लागू नहीं है, इसलिये इस राजस्व को राजस्व साझेदारी (एलएफ और एसयूसी) की गणना हेतु जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि आई.आर.यू के अर्न्तगत ओ.एफ.सी की बिक्री से है और आई.आर.यू राजस्व एन.एल.डी लाइसेंस के अर्न्तगत की गई गतिविधि/कार्य-कलाप के समान है, प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है।

इस प्रकार वि. वर्ष 2009-10 के दौरान आई सी एल द्वारा प्राप्त आई. आर. यू राजस्व को शामिल न करने के कारण ₹ 1.13 करोड़ से जीआर/एजीआर कम दिखाया गया, परिणामस्वरूप आई सी एल द्वारा ₹ 0.07 करोड़ के एलएफ का भुगतान नहीं हुआ।

### 6.2.7 आई.सी.एल./ए.बी.टी.एल द्वारा विदेशी मुद्रा से प्राप्त राजस्व को जी.आर./ए.जी.आर हेतु कम रिपोर्टिंग

वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रिकार्ड की जाँच ने दर्शाया कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान प्राप्त किये गये ₹ 53.58 करोड़ के विदेशी मुद्रा लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

यह वर्णन आवश्यक है कि उपरोक्त वसूले लाभ की गणना ओरेकल फाईनेशियल सिस्टम के डाटा से निकाली गयी अवधि के दौरान का कुल वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि कम्पनी प्रत्येक वर्ष शामिल किये गये सभी मदों की राशि को विदेशी विनिमय लाभ/हानि के अर्न्तगत दर्शाती है, वसूले मद को वसूले लाभ और नहीं वसूले गये मद को ना वसूले लाभ के अर्न्तगत लेखित किया जाता है। इस प्रकार वर्ष में एक विशेष मद पर वसूला लाभ मध्यवर्ती अवधि के दौरान उस मद के लाभ/हानि लेखे के कारण वास्तविक लाभ नहीं माना जायेगा। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद का वास्तविक मूल्य न होने के कारण प्रत्येक वर्ष वसूले लाभ के अर्न्तगत लेखित मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सकी। आगे लेखापरीक्षा ने लेखाशीर्ष और एलएसए अनुसार प्रत्येक तिमाही को अन्तिम लाभ को गणना हेतु लिया है। क्योंकि लेखापरीक्षा के लिये उपलब्ध कराये गये डाटा से लाभ के आकड़ों को बाँटना/जोड़ना सम्भव नहीं था। प्रचालक को प्रत्येक मद से लाभ की गणना, लेखों की आरम्भिक कीमत के संदर्भ में करनी चाहिये और कुल विदेशी मुद्रा लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल करना चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबन्धन ने बताया कि :

- लेखापरीक्षा ने जीआर से सम्बन्धित लाइसेंस करार के खण्ड 19.1 को सदर्थित किया है और प्रश्न किया है कि क्यों नहीं विदेशी मुद्रा विनियम के परिवर्तन के कारण हुए लाभ को एजीआर में शामिल किया जाये। खण्ड 19.1 में जीआर को परिभाषित करने के लिये जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनका सम्बन्ध कम्पनी के अन्तः प्रवाह यानि उन प्रभार, फीस, वसुली इत्यादि से है जो कि दी गई सेवाओं या वस्तुओं का बिल बनाते समय लाईसेंसी के सेवा राजस्व का हिस्सा माना जायेगा।
- विदेशी मुद्रा विनियम लाभांश, विदेशी मुद्रा विनियम की दर के मध्य, जब प्रारम्भ में दायित्व के रूप में लेखित की गई, और जब उस फारेक्स दर दायित्व का निपटान किया गया, को खण्ड 19.1 के अर्न्तगत विदेशी मुद्रा को सकल राजस्व का हिस्सा मानने का कोई मतलब नहीं है।

- हेज्ज क्लोजिंग दरें या बाजार अनुसार पूँजीगत उपकरणों और विदेशी मुद्रा लोन की ओर देयों का पुनः कथन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तन किसी भी क्लोजिंग तिथि पर राजस्व नहीं है। विदेशी विनिमय दरों में बदलाव का सेवा प्रदाता के राजस्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। विदेशी मुद्रा में उपर या नीचे का बदलाव के ए.जी.आर पर प्रभाव को अनदेखा करना चाहिये।
- राजस्व पर लेखा मानक-9 के अनुसार विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं है।
- टीडी सैट ने अपने 30 अगस्त 2007 के निर्णय में कहा है कि विदेशी विनिमय लाभ को एजीआर के उद्देश्य से शामिल नहीं करना चाहिये।
- ट्राई के अनुसार विदेशी विनिमय बदलाव के प्रभाव चाहे वह उर्ध्वमुखी या निम्नमुखी हो एजीआर के लिये अनदेखा करना चाहिये।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि :

- लाइसेंस करार के खण्ड 19.1 पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण पैरा 3.2.5 में वर्णित है।
- कम्पनी ने अपनी वित्तीय विवरण में विनिमय परिवर्तन (नेट बेस पर) रिपोर्टिंग की है। यह सत्य नहीं है कि लाइसेंस करार में जीआर की परिभाषा में विदेशी विनिमय लाभ/हानि को शामिल नहीं किया गया और लाइसेंस करार में निर्धारित एजीआर विवरणी में नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि लाइसेंस करार में वर्णित है कि " सकल राजस्व में अन्य विविध राजस्व सम्बन्धित व्यय मदों को घटाये बिना शामिल किया जायेगा" विदेशी मुद्रा लाभ विविध राजस्व का भाग है।
- एएस-9 में यह वर्णित है कि विदेशी विनिमय लाभ राजस्व नहीं है, इसमें इतना ही वर्णन है कि मानक के उद्देश्य हेतु विदेशी विनिमय दरों से वसूले/ना वसूले गये लाभ और वित्तीय विवरणी में विदेशी मुद्रा परिवर्तन के फलस्वरूप समायोजन राजस्व की परिभाषा में शामिल नहीं है। विदेशी मुद्रा से लाभ/हानि का निरूपण ए.स.11में शामिल है
- टीडी सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से खारिज कर दिया है।
- उत्तर में सम्मिलित ट्राई की सिफारिशों को दू.वि ने अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया है।

इस प्रकार वर्ष 2006-07 से 2009-10 की अवधि के दौरान विदेशी विनिमय लाभ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप जीआर/एजीआर को ₹ 53.58 करोड़ कम दिखाया गया जिसके फलस्वरूप एलएफ/एसयूसी का क्रमशः ₹ 4.45 करोड़ और ₹ 2.00 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। **(अनुलग्नक 6.11)**

### 6.3 राजस्व विवरणी और एलएफ (एजीआर विवरणी) में राजस्व को कम दिखाया जाना परन्तु लेखा बहियों में पूरा दिखाया जाना।

#### 6.3.1 आईसीएल/एबीटीएल द्वारा ब्याज आय को जीआर/एजीआर हेतु नहीं माना जाना

वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के दौरान आईसीएल/एबीटीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रिकार्डों की संवीक्षा ने दर्शाया कि आईसीएल ने 2006-07 में ब्याज आय को जीआर/एजीआर हेतु अपने लेखा-बही में लिया था परन्तु 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में नहीं लिया था। लेखा बही में दर्ज ब्याज की राशि ₹ 566.87 करोड़ थी जिनमें से केवल ₹ 17.08 करोड़ की राशि को जीआर/एजीआर हेतु वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान लेखा बही में लिया गया, परिणामस्वरूप ₹ 549.79 करोड़ की ब्याज आय राशि को जीआर/एजीआर की गणना हेतु नहीं लिया गया। (अनुलग्नक 6.12) इसी प्रकार 2008-09 में एबीटीएल की लेखा बही में ₹ 10.49 करोड़ की ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर आईसीएल प्रबन्धन ने बताया कि टी.डी.सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को देखते हुए, यूएसएल/एनएलडी/आईपीआई/आईएलडी/आईएसपी/वी. सैट के लेखा शेषों के अर्न्तगत ब्याज आय को एजीआर हेतु नहीं लिया गया। कारपोरेट ट्रायल बैलस (टीबी) के अर्न्तगत ब्याज आय को इसलिये नहीं लिया गया क्योंकि वह दूरसंचार परिचालन से सम्बन्धित नहीं थी। आगे यह बताया गया कि कारपोरेट ट्रा वै में दर्ज ब्याज अतिरिक्त/कर्ज ली गई निधि के परियोजन से अर्जित किया गया, और इसके गैर दूरसंचार राजस्व होने के कारण एजीआर से अलग किया गया है। यह भी कहा गया कि कभी-कभी अल्प समय के लिये कैपेक्स के लिये कर्ज ली गई निधि का निवेश किया जाता है और उस पर अर्जित ब्याज, कर्ज पर चुकाये गये ब्याज से सदा कम होता है, इस प्रकार एजीआर में शामिल करने हेतु राजस्व साझेदारी की उगाही हेतु राजस्व शेष नहीं बचता है। बिहार एलएसए में दूरसंचार सेवायें अक्टूबर 2008 में शुरू हुई, 2008-09 के लिये पहले साल के व्यापारिक परिचालन से ₹ 43.53 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। एबीटीएल ने कैपेक्स शुरू करने के लिये ₹ 300 करोड़ का कर्ज लिया था जिसमें से ₹ 120 करोड़ की राशि होल्डिंग कम्पनी यानी आई सीएल की थी। यद्यपि आईसीएल से कर्ज ब्याज मुक्त था, अन्य कर्जों पर ब्याज देय था। यह एक प्रोजेक्ट स्थिति थी जिसमें बिहार के कुछ जिलों में सेवाएं अभी शुरू ही की गयी थी और एक विशाल रोल आउट प्रगति पर था। ऐसी स्थिति में कैपेक्स के लिये निधि से पहले अतिरिक्त निधि की अल्पकालीक आंवटन के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं हो सकती थी। दूरसंचार में प्रोजेक्ट फंडिंग का परिणाम बाँटे गये कर्ज और आय का अन्तिम उपयोग बेमेल में होता है जिसके कारण कोष आय, कोष व्यय के रूप में होती है। व्यापार से अर्जित अधिशेष/अतिरिक्त कैश का प्रयोग उधार दाता की कर्ज की शर्तों के कारण अन्य निवेशों में किया जाता है (कैपेक्स के अलावा)। यदि सभी ब्याज आय को शामिल करना है तो, इसे ब्याज पर लागत को घटा कर लिया जाना चाहिये। उपरोक्त पर विचार करने के बाद, ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं करना चाहिये।

प्रबन्धन का तर्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय द्वारा टीडी सैट के दिनांक 30.8.2007 के निर्णय को खारिज किये जाने के बाद प्रभाव शून्य हो गया और लाईसेंस करार की परिभाषा

में राजस्व साझेदारी के लिये जीआर/एजीआर की गणना में ब्याज आय को शामिल करने का विशेष रूप से प्रावधान है।

2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान आईसीएल/एबीटीएल द्वारा ₹ 560.28 करोड़ की ब्याज आय को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं करने के कारण एलएफ और एसयूसी का क्रमशः ₹ 44.59 करोड़ और ₹ 20.47 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक 6.12)

### 6.3.2 आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल. द्वारा जीआर/एजीआर के लिये राजस्व साझेदारी के भुगतान हेतु निवेश की बिक्री से लाभ को शामिल नहीं किया जाना।

यूएसएल समझौते के खण्ड 20.4 में संदर्भित, राजस्व और एलएफ (एजीआर विवरणी) का फार्मेट विवरणी, जैसा कि परिशिष्ट- ii से अनुलग्नक -ii में निर्धारित है, लाईसेंस समझौते का अभिन्न भाग है। विवरणी में मद संख्या-4 "निवेश के आय" दर्शाने के लिये निर्धारित है।

आई.सी.एल. के रिकार्ड/डाटा से यह पाया गया कि वर्ष 2006-07-2007-08, 2008-09 और 2009-10 में "निवेश बिक्री से लाभ" में क्रमशः ₹ 8.13 करोड़, ₹ 43.18 करोड़ ₹ 222.75 करोड़ और ₹ 87.87 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी। 2006-07 में निवेश बिक्री से आय को राजस्व साझेदारी की गणना के लिये जीआर/एजीआर में शामिल किया गया था परन्तु 2007-08, 2008-09 और 2009-10 में इससे ₹ 353.80 करोड़ की आय को राजस्व साझेदारी की गणना हेतु जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया गया। (अनुलग्नक 6.13 में वर्णित) इसी प्रकार (ए.बी.टी.एल.) ने 2008-09 में ₹ 45.03 करोड़ की निवेश आय को एलएफ/एसयूसी. के लिये शामिल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा प्रश्न पर, प्रबंधन ने बताया कि टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कारपोरेट टी बी के अर्न्तगत निवेश आय को एजीआर में शामिल नहीं किया गया। आगे यह बताया गया कि यह ट्रेजरी फंक्शन से निकाली गई आय है जो कि लाईसेंस गतिविधियों से अलग और स्पष्ट फंक्शन है और यह आय गैर लाईसेंस गतिविधि/गैर परिचालक से प्राप्त आय है। इसलिये ऐसी कारपोरेट आय को जीआर का भाग नहीं माना जा सकता। आगे यह बताया गया कि बिहार एलएसए में दूरसंचार सेवायें अक्टूबर 2008 में शुरू हुई, व्यापारिक परिचालन से पहले साल अर्थात् 2008-09 में ₹ 45.53 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ। ए.बी.टी.एल ने कैपैक्स की शुरुआत हेतु ₹ 300 करोड़ से अधिक का कर्ज लिया था जिसमें से ₹ 120 करोड़ का कर्ज होल्डिंग कंपनी आई सी एल द्वारा दिया गया था। यह एक प्रोजेक्ट स्थिति थी जिसमें बिहार के कुछ जिलों में सेवा लान्व की जानी थी और विशाल रोल-आउट प्रगति पर था। कैपैक्स के लिये उपयोग करने से पहले अतिरिक्त निधियों के अल्पकालिक निवेश की स्थिति में, अन्य अतिरिक्त निधि नहीं हो सकती। दूरसंचार में प्रोजेक्ट फंडिंग का परिणाम दिये गये लोन/ऋण और आय के अन्तिम उपयोग में बेमेल होता है जिसका प्रभाव ट्रेजरी आय को ट्रेजरी व्यय दर्शाता है। व्यापार द्वारा अर्जित अतिरिक्त रोकड़ का उपयोग कर्जदाता की शर्तों के कारण अन्य तरीको से निवेश में किया जाता है। (कैपैक्स के अलावा) उपरोक्त पर विचार करते हुए निवेश बिक्री से लाभ को जीआर/एजीआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

निवेश से आय को जीआर में न शामिल करने का प्रबंधन का तर्क टी.डी.सैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से प्रभाव शून्य हो गया



है। आगे लाईसेंस करार में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु निवेश से आय को जीआर/एजीआर में शामिल करने का प्रावधान है और यह दूरसंचार गतिविधि और गैर-दूरसंचार गतिविधि से अर्जित राजस्व में अन्तर नहीं करता।

इस प्रकार आई.सी.एल/ए.बी.टी.एल द्वारा 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान निवेश से अर्जित ₹ 398.83 करोड़ की आय को शामिल नहीं करने के परिणामस्वरूप एलएफ/एसयूसी का क्रमशः ₹ 33.36 करोड़ और ₹ 14.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (अनुलग्नक 6.13)

### 6.3.3 मैसर्स आई सी एल द्वारा एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए ए जी आर की विविध आय पर विचार नहीं करना

आई सी एल के लाभ एवं हानि लेखा में, "अन्य आय" की सूची के अन्तर्गत वर्गीकृत राजस्व/आय को पुनः दो श्रेणियों में उप वर्गीकृत किया गया है:—(i) देयता/रीटन बैक प्रावधान एवं (ii) विविध आय। ए जी आर विवरणों से यह पाया गया कि ए जी आर के लिए 2006-07 से 2009-10 तक प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किए गए अन्य आय की राशि पर विचार नहीं किया गया था जबकि 2006-07 एवं 2009-10 में ए जी आर के लिए दूसरी श्रेणी (विविध आय) के अन्तर्गत वर्गीकृत आय पर विचार किया गया था परन्तु 2007-08 तथा 2008-09 में आंशिक रूप से विचार किया गया था।

वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के लिए विविध आय (बीमा दावाओं को छोड़कर) की राशि ₹ 9.37 करोड़ है जिसमें से ए जी आर के लिए सिर्फ ₹ 1.04 करोड़ की राशि पर विचार किया गया था एवं ₹ 8.33 करोड़ की शेष राशि पर विचार नहीं किया गया था। (अनुलग्नक-6.14)

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न पर यह उत्तर दिया कि:

- जहाँ तक विविध आयों का प्रश्न है, ये आय स्क्रेप बिक्री, बीमा दावे आदि व्यवसाय से सम्बन्धित हैं, जिनका लाइसेन्स समझौते के अन्तर्गत दूरसंचार परिचालन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।
- टी डी सैट के निर्णय, दिनांक 07 जुलाई 2006 के अनुसार लाईसेंस शुल्क के अभिकलन का सिद्धान्त ए जी आर पर आधारित होगा। सिर्फ लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों से अर्जित राजस्व पर ही लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया जाएगा (विना लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों से नहीं)। टीडी सैट क दिनांक-30 अगस्त 2007 के निर्णय के अनुसार, जिस पर डी ओ टी की सहमति थी, निर्धारित परिसंपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राजस्व जो पूँजीगत आय की प्रकृति का है एवं बीमा दावे ए जी आर का हिस्सा नहीं होने चाहिए एवं विविध/अन्य आय के श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य मदों का निर्णय, मामले विशेष के आधार पर इनके समावेश या अपवर्जन पर विचार करने के लिए, लेना होगा।

आई सी एल प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है, चूँकि—

- जी आर की परिभाषा स्पष्ट करती है कि राजस्व हिस्सेदारी के अभिकलन के लिए जी आर में वि. विध आय को शामिल करना चाहिए। प्रबन्धन का यह तर्क कि ये विविध आय बिना लाइसेन्स प्राप्त गतिविधियों से प्राप्त हुए हैं एवं इसलिए इन्हे ए जी आर में शामिल नहीं करना है स्वीकार्य नहीं है। ये विविध आय सिर्फ लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधियों के लिए संबद्ध हैं।

- कम्पनी का यह तर्क कि टीडी सैट के 30 अगस्त 2007 के निर्णय से दूरसंचार विभाग सहमत था, सही नहीं है क्योंकि दूरसंचार विभाग ने इस निर्णय को चुनौती दी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को अपने 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय से रद्द कर दिया था।
- जीआर/एजीआर में विविध आय की राशि को शामिल नहीं करने हेतु लेखापरीक्षा ने विविध राजस्व में शामिल किए गए वीमा दावे को अलग किया।

अतः उपरोक्त विविध आय के मदों की राशि ₹ 8.33 करोड़ को ए जी आर में शामिल नहीं किया था, उन्हें लाइसेन्स शुल्क/स्पेक्ट्रम प्रभार के अभिकलन के लिए ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए। जी आर/ए जी आर में विविध आय को शामिल नहीं करने से एल एफ एवं एस यू सी की क्रमशः ₹ 0.70 करोड़ एवं ₹ 0.32 करोड़ का कम भुगतान हुआ। (संलग्नक-6.14)

#### 6.3.4. आई सी एल/ए बी टी एल द्वारा राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान हेतु ए जी आर के लिए अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ से प्राप्त आय को शामिल नहीं करना

आई सी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए दिए गए आंकड़ों/अभिलेखों के परीक्षा से यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान आई सी एल के लाभ एवं हानि लेखाओं में ₹ 16.00 करोड़ के अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ (अनुलग्नक-6.15) को अन्य प्रशासनिक व्यय के साथ समायोजित किया गया था एवं एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

इसी प्रकार, ए बी टी एल के मामले में, ₹ 0.12 करोड़ के निर्धारित परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ को एल एफ/एस यू सी के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में बताया कि:

- कम्पनी का लेखाकरण प्रतिपादन एवं लेखा का प्रस्तुतीकरण कम्पनी एक्ट के अनुसूची-VI के अनुसार है। विक्रय पर कोई हानि/लाभ पूँजीगत आय है। परिसंपत्तियों में किए गए निवेशों से राजस्व उत्पन्न होता है, जिस पर लाइसेन्स शुल्क लगता है। ऐसी परिसंपत्तियों के निपटारे से प्राप्त बिक्री आय से होने वाली लाभ/हानि बहीखाते में परिसंपत्तियों के हास मूल्य (रीटन डाउन वैल्यू) से अधिक राशि की वसूली है। यह लाभ वास्तव में लाभ नहीं है क्योंकि अवमूल्यन के लाभ को पहले नहीं लिया गया है। यह प्रचालनों से प्राप्त राजस्व एवं साथ ही साथ व्यवसाय के लिए पहले से रखे गए पूँजीगत व्यय के हिस्से पर लाइसेन्स शुल्क लगाने के समान भी होगा। यह राजस्व पूँजीगत राजस्व था एवं इसे लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि से प्राप्त नहीं किया गया था एवं इसलिए एल एफ के अभिकलन के लिए इसे ए जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- टी डी एस ए टी के दिनांक 30 अगस्त, 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, ए जी आर के अभिकलन के लिए अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से हुए लाभ से प्राप्त राजस्व को शामिल नहीं किया गया था।

प्रबन्धन का दावा मान्य नहीं है क्योंकि:

- जी आर की परिभाषा स्पष्ट करती है कि राजस्व हिस्सेदारी के अभिकलन के लिए जी आर में विविध आय को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, लाइसेन्स समझौता, लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि एवं बिना लाइसेन्स-प्राप्त गतिविधि में भेद नहीं करता। जी आर की परिभाषा के अनुसार, सकल राजस्व में लाइसेन्सी को सभी राजस्वों को, बिना व्यय के सम्बन्धित मदों को घटाए हुए, एवं अर्जित राजस्व को शामिल किया जाएगा क्योंकि उपरोक्त सिर्फ लाइसेन्स प्राप्त गतिविधि के लिए प्रसांगिक हैं एवं कम्पनी ने भी वर्ष 2006-07 में इसे ए जी आर के अभिकलन के लिए शामिल किया था।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2011 के निर्णय से टी डी सैट को दिनांक 30 अगस्त 2007 निर्णय प्रभाव शून्य हो चुका है।

इस प्रकार अचल परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्त लाभ से हुए ₹ 16.12 करोड़ की आय को, राजस्व के अभिकलन के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं करने के कारण एल एफ एवं एस यू सी का क्रमशः ₹ 1.54 करोड़ एवं ₹ 1.069 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-6.15)

#### 6.4. अन्य मुद्दों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम-भुगतान/भुगतान न होना

##### 6.4.1. आई सी एल द्वारा ए जी आर गणना के लिए जी आर से रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण की अनियमित कटौती

आई सी एल द्वारा वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए दिए गए आंकड़ों/अभिकलनों के समीक्षा से यह बात सामने आई कि वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 173.31 करोड़ को प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों के अन्तर्गत, "रीटन ऑफ (अप्राप्य ऋण) के रूप में शामिल किया गया था। परन्तु, वर्ष 2009-10 में आठ एल एस ए<sup>3</sup> से सम्बन्धित ए जी आर गणना के लिए, ₹ 172.18 करोड़ की राशि "रीटन ऑफ (अप्राप्य ऋण) के कारण जी आर से घटाया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा प्रश्न पर यह कहा कि टी डी सैट के दिनांक-30 अगस्त, 2007 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने वर्ष 2009-10 के दौरान उपर्युक्त आठ एल एस ए के वार्षिक संपरीक्षित ए जी आर को तैयार करते समय रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण की कटौती को शामिल किया है, जिसकी कुल धनराशि ₹ 172.18 करोड़ होती है। परन्तु डी ओ टी को लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करते समय, कम्पनी ने रीटन ऑफ अप्राप्य ऋण को शामिल नहीं किया था एवं लाइसेन्स शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार के रूप में ₹ 25.19 करोड़ की धनराशि का अधिक भुगतान कर दिया गया था। आगे यह कहा गया कि वर्ष 2009-10 के दौरान, ₹ 173.31 करोड़ की धनराशि जिसे अशोध्य ऋण के रूप में आंकलित (रीटन ऑफ) किया गया था, उसके कारण पहले से ऐसी संदिग्ध प्राप्य के लिए किए गए प्रावधानों को बदल दिया गया। इन प्राप्यों के राइट ऑफ करने के लिए की गयी प्रविष्ट को व्यय प्रावधान जी एल कोड के डेबिट द्वारा एवं परिमंडल बही खातों में सम्बंधित देनदार एवं सेवा कर लेखाओं को क्रेडिट करके पास किया गया जिससे अप्राप्य ऋण रीटन ऑफ (व्यय) के प्रावधानों को अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों (व्यय) के प्रावधानों से ₹ 173.31 करोड़ की धनराशि का पुनः समूहन (री-गुपिंग) किया। फिर भी, वर्ष 2009-10 के दौरान लाभ एवं हानि लेखाओं में प्रभार सिर्फ ₹ 47.29 करोड़ था।

3 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश

प्रबंधन का दावा मान्य नहीं है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के निर्णय के बाद टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 को निर्णय प्रभाव शून्य हो चुका है। इसके अलावा, ला. इसेन्स समझौते में ए जी आर गणना के लिए जी आर से अप्राप्य ऋणों की कटौती का प्रावधान नहीं है एवं लाईसेंसी ने स्वयं वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान ए जी आर गणना के लिए जी आर से रीटन ऑफ अप्राप्य ऋणों की कटौती नहीं की थी। यद्यपि कम्पनी ने बताया कि वट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण पर एलएफ तथा एस.यू.सी का भुगतान किया गया परन्तु लेखापरीक्षित ए.जी.आर विवरणी में इस का कटौती में दर्शाना लाइसेंस करार का उल्लंघन था। कम्पनी द्वारा लेखापरीक्षा न किये गये ए.जी.आर पर आकलन के आधार पर तिमाही भुगतान को दूरसंचार विभाग द्वारा मानी जायेगी जो कि केवल लेखापरीक्षित ए.जी.आर विवरणी पर होना चाहिये।

इस प्रकार ए जी आर गणना के लिए जी आर से अप्राप्य ऋणों की कटौती के कारण सकल राजस्व को ₹ 172.18 करोड़ कम दिखाया गया एवं एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 16.89 करोड़ एवं ₹ 7.03 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-6.16)

## 6.5 अन्य मुद्दे

### 6.5.1 आइडिया सेल्युलर लिमिटेड द्वारा अपने नियंत्रक कम्पनी को शून्य आधार पर एक संयुक्त उद्यम को अंतिम स्थानांतरण के लिए संरचना परिसंपत्तियों का स्थानांतरण

आई सी एल का प्रवर्तन (मार्च 1995) आदित्य बिरला ग्रुप कम्पनियों, जिसमें ए बी टी एल भी शामिल है, के द्वारा किया गया। दिनांक 29 अगस्त 2006 से ए बी टी एल प्रवर्तक नहीं रह कर दिनांक 28 फरवरी 2007 से आई सी एल की एक सहयोगी कम्पनी हो गया। ए बी टी एल ने बिहार एल एस ए के लिए यू ए एस लाइसेंस दिसम्बर 2006 में प्राप्त किया परन्तु अपना दूरसंचार प्रचालन 2009-10 में शुरू किया। आई सी एल ने तीन नयी सहयोगी कम्पनियाँ बनायीं, आइडिया सेल्युलर सर्विसेस लिमिटेड (आई सी एस एल) एवं आइडिया सेल्युलर इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस लिमिटेड (आई सी आई एस एल), (दिनांक 03-10-2007 को निगमित) किया गया और आइडिया सेल्युलर टावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 (आईसीटीआईएल)(3 सितम्बर 2007 में निगमित) आई.सी.टी.आई.एल एक पूर्ण स्वामित्व वाली आई.सी.आई.एफ.एल की सहयोगी थी और इस प्रकार आई.सी.एल की भी सहयोगी कम्पनी थी।

आई सी एल एवं आई सी टी आई एल के बीच आई सी एल के पैसिव संरचना के विलय के लिए एवं इन संरचनाओं को, 9 एल एस ए<sup>4</sup> में आई.सी.टी.आई.एल में हस्तांतरण हेतु 01 जनवरी 2009 की नियुक्ति तिथि से स्थानांतरित करने कि व्यवस्था की योजना को दिल्ली एवं गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया एवं यह व्यवस्था दिनांक 29 सितम्बर 2009 से प्रभावी हुई। वर्ष 2008-09 में आई सी एल एवं आई सी टी आई एल के बही खातों में लेखांकन प्रविष्टियाँ इस योजना के अनुसार की गयीं एवं तदनुसार आई सी एल के खातों में, ₹ 1622.78 करोड़ के परिसंपत्तियों के बही मूल्य से हटाये गये एवं इसके समानुपात में सहायक कम्पनी ए बी टी एल में निवेश राशि बढ़ायी गयी। आई सी टी आई एल

4 आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, यू पी (पूर्व), यू पी (पश्चिम), हरियाणा, केरल, राजस्थान और मुम्बई

के खातों में उपरोक्त परिसंपत्तियों को, उनके बही मूल्य पर, सामान्य रिजर्व में समान क्रेडिट के साथ, दर्ज किया गया था।

ए बी टी एल एवं आई सी एल के बीच, 01 अप्रैल 2009 की नियुक्ति तिथि से, यू ए एस एल एवं (बिहार एल एस ए के ) ए बी टी एल के सम्बन्धित परिसंपत्तियों एवं देयताओं के स्थानांतरण के लिए, की गयी दूसरी व्यवस्था को बॉम्बे एवं गुजरात के उच्च न्यायालयों द्वारा अनुमोदित किया गया, जो 01 मार्च 2010 से प्रभावी हुई। वर्ष 2009-10 में आई सी ए एवं ए बी टी एल के बही खातों में लेखा प्रविष्टियाँ इस व्यवस्था के अनुसार की गयी। तदनुसार ए बी टी एल के खातों में, ₹ 2069.45 करोड़ को बटेखाते में डालकर इतनी ही राशि को विजेनस रिस्ट्रक्चरिंग रिजर्व से निकाल लिया गया। आई सी एल के खातों में, इन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को उनके अंकित मूल्य पर दर्ज किया गया एवं ₹ 2069.45 करोड़ की धनराशि को सामान्य रिजर्व में क्रेडिट किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आई सी एल एवं ए बी टी एल द्वारा सम्पत्तियों का हस्तान्तरण निरंक कीमत पर किया गया था परन्तु हस्तांतरित कम्पनियां ने (आई सी टी आई एल एवं आई सी एल) सम्पत्तियों की कीमत जनरल लेजर में अनुकूल क्रेडिट के साथ दर्ज मूल्य पर लेखांकित की निरंक कीमत पर सम्पत्तियों का स्थानांतरण अर्मस लेगथ लेन-देन नहीं था क्योंकि तीनों ही कम्पनियाँ अलग इकाई थी। हस्तांतरित कम्पनियों द्वारा दर्ज मूल्य पर सम्पत्तियों का लेखांकन एवं लम्बित पुर्नमुल्यांकन, हस्तांतरणकर्ता कम्पनी द्वारा लाभ त्यागने के कारण एल एफ तथा एस यू सी पर इसका प्रभाव निर्धारित नहीं किया जा सका।

## 6.6 एल एफ एवं एस यू सी के अल्प भुगतान/न किए गए भुगतान पर ब्याज

जैसा कि उपर्युक्त 6.2 से 6.4 पैराओं में उल्लेख किया गया है, ऊपर उठाए गए मुद्दों पर एल एफ एवं एस यू सी के अल्प भुगतान/भुगतान न होने पर ब्याज की राशि क्रमशः ₹ 289.99 करोड़ और ₹ 133.27 करोड़ होती है। एल एफ और एस यू सी के इस अल्प भुगतान/न किये गए भुगतान पर ब्याज ₹ 541.63 करोड़ है (अनुलग्नक 6.17) ब्याज की गणना लाइसेन्स समझौते में निर्धारित दर पर आधारित थी (अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा कुल उधार दर से दो प्रतिशत अधिक एवं गणना के लिए विचार की गयी अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। ब्याज की गणना लाइसेंस शर्तों में निर्धारित मासिक कम्पाउण्ड दर पर की गई है।

## 6.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियों के लिये दू वि का प्रत्युत्तर

आई.सी.एल.द्वारा राजस्व साझेदारी पर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण दूरसंचार विभाग को नवम्बर 2015 में भेजा गया। दू.वि का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)